# क्लीनिकल ट्रायल में सहमति पर सवाल

क्लीनिकल ट्रायल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत किसी दवा या उपचार का परीक्षण इन्सानों पर किया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिताओं में स्थान मिला है। मगर हाल ही में चिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं और आचरणविदों के एक समूह ने चेतावनी दी है कि क्लीनिकल ट्रायल की प्रक्रिया में जिन लोगों को शामिल किया जाता है, उनकी सहमति महज़ खानापूर्ति रह गई है।

युरोपियन फोरम फॉर गुड क्लीनिकल प्रेक्टिस के अध्यक्ष इनग्रिड क्लिंगमैन का मत है कि क्लीनिकल ट्रायल के कामकाज को बेहतर बनाने की तत्काल ज़रूरत है। इस संदर्भ में ज़रूरी है कि ट्रायल में भागीदार व्यक्तियों को ऐसे अध्ययनों के महत्त्व, फायदे और ज़ोखिमों की पूरी जानकारी दी जाए। मगर ब्रुसेल्स में आयोजित बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने बताया कि फिलहाल क्लीनिकल ट्रायल के लिए सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया मरीज़ों की सुरक्षा हेतु नहीं, शोधकर्ताओं की रक्षा हेतु चलाई जाती है।

बैठक में युरोपियन ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ब्रुसेल्स मुख्यालय के निदेशक ने बताया कि 1995 से 2009 के बीच सहमति पत्र की लंबाई लगातार बढ़ते-बढ़ते तीन गुना हो चुकी है। कई मामलों में तो सहमति पत्र 20 पन्नों का अर्थहीन दस्तावेज़ होता है। कई अन्य वक्ताओं ने बताया कि सहमति पत्र में जिन साइड प्रभावों की बात होती है, वे अत्यंत भ्रामक ढंग से बताए गए होते हैं और कई बार गंभीर साइड प्रभावों को सामान्य हल्के-फुल्के प्रभावों के साथ मिला दिया जाता है। प्रायः यह सूचना होती ही नहीं कि सम्बंधित बीमारी का इलाज किस हद तक हो सकता है और उपचार से क्या फायदा/नुकसान मिल सकता है। लंबे-लंबे सहमति पत्र का मतलब यह होता है कि उसे भरने वाले लोग जान नहीं पाते कि वे किस चीज़ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। जैसे, यूएस में 200 कैंसर मरीज़ों पर किए गए एक क्लीनिकल ट्रायल में 63 प्रतिशत को यह पता नहीं था कि इस उपचार में किस तरह के ज़ोखिम हैं और 70 प्रतिशत तो यह तक नहीं जानते थे कि जो उपचार उन्हें दिया जा रहा है वह प्रायोगिक है।

जब यूएस जैसे देश के ये हाल हैं तो उन विकासशील देशों में क्या होता होगा, जहां आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियां क्लीनिकल ट्रायल्स 'आउटसोर्स' कर रही हैं? कई विकासशील देशों में ये कंपनियां क्लीनिकल ट्रायल्स में नैतिक मापदंडों का घोर उल्लंघन कर रही हैं। मसलन, हाल ही में अर्जेंटाइना में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पर इन मापदंडों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना किया गया था। भारत में भी क्लीनिकल ट्रायल्स पर कई सवाल उठे हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***